हाजरा वगैरह बनाम सरकार

मु0नं0 07/2024

	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट पत्रांक/तखा/खाजू/रीडर/23/30 दिनांक 03.01.24 अनुसार चक 1–2 एमडीएम के मु0नं0 183/44 का कुल रकबा 6.3225 है0 कमाण्ड भूमि नाबालिग बहन अरशा पुत्री मखणखां संरक्षक मखणखां हिस्सा 1/7, हाजरा पत्नी मखणखां हिस्सा 6/7 जाति मुसलमान निवासी माधोडिग्गी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ब्लॉक नम्बर 183 का कुछ रकबा चक 21 पीकेडी, 20 पीकेडी, 19 पीकेडी ए, 1–2 एमडीएम, 2 पीकेएम, 13 केजेडी ए में स्थित है। मु0नं0 183/44 का कुल रकबा 6.3225 है0 मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड चक 1–2 एमडीएम में स्थित है। उक्त मु0नं0 183/44 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार चक 19 पीकेडी ए में नहीं है। कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के पत्रांक 2689 दिनांक 20.10.23 की रिपोर्ट अनुसार 1–2 एमडीएम का मुरब्बा नम्बर 183/44 वर्तमान में चक 19 पीकेडी ए में स्थित है। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला व रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला का अध्ययन अवलोकन व मनन किया गया। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है की उक्त मु0नं0 183/44 वर्तमान में 19 पीकेडी ए में स्थित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है इसलिए धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों/प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में उक्त मु0नं0 183/44 का चक 1–2 एमडीएम की जगह चक 19 पीकेडी ए दुरस्ती के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	